

Neha Singh

5/2/2025, 11:25:26 PM

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-कार्यक्रम पर सतीश चग्गाला का निर्णय आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है लेकिन इससे समुदायों के विमाजन की आशंका भी उत्पन्न होती है इसके सांख्यिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण चीज़िए। (8 mark)

हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब व हरियाणा

हाईकोर्ट के SC व ST के उप-कार्यक्रम से सम्बंधित केसों को पहले राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित SC व ST वर्गीकृति ने राज्यों को उपकार्यक्रम की उन्मत्ति प्रदान की।

~~✓~~ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में उपकार्यक्रम से तात्पर्य आवश्यक लाभों की सुची ये 'क्रीमीलेग्स' को बाहर कर अक्षित समूहों की आवश्यक प्रदान करता है। ~~check~~ ~~please check~~

SC व ST उपकार्यक्रम से समुदायों में विमाजन की आशंका : क्यों?

→ इसी कार्यक्रम के अन्दर कार्यक्रम की संकाढ़ी जा रही जो SC/ST के अन्दर विभिन्न भाग असमानता की जगह स्थापित है।

उपकार्यक्रम का सांख्यिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव

संवेदनिक प्रमाण

पक्ष में तर्क

① सत्ताराज्यक भैद्रमाव के उद्देश्य की दृष्टि

(उद्ध०) अनुच्छेद, 15(4)

15(6), वा 16(4) को.

तर्क दृष्टि साथौ बढ़ना

विपक्ष में तर्क

* अन्य समुदायी में उपकरण की गांग में दृष्टि

सामाजिक प्रमाण

पक्ष

① हाशिए पर स्थित लोगों के प्रमाण का सम्प्राप्ति

② आरक्षण का सम्बन्ध चुड़े लोगों के पीड़ियों तक सम्बन्ध को लोत्साहन

विपक्ष

① समुदायी में भैद्रमाव या समुदायिक सर्विष्टता की भावना का ज्ञान

राजनीतिक प्रमाण

पक्ष

① राजनीतिक दोस्ती में जिससे किसी लोगों के समावेशन को प्रोत्साहन

विपक्ष

① जारि की राजनीति के एक दूष के रूप में प्रपोज

~~इस प्रकार भारीभी की उपकरण सत्ताराज्यक भैद्रमाव के उपरण आरक्षण हेतु एक 'जन्मास/विश्वासूच्छ' की रह जाएगा जिससे लक्षित समूह तक आरक्षण की पहुँच सुनिश्चित कर समावेशी किसी की वद्यवा दिया जा सकेगा।~~

(2) किस आरक्षण जीवियों को साक्ष्य आद्धारित और समानतापूर्ण बनाने के लिये जातिगत जनगणना अनिवार्य दोनी चाहिये? इसकी आवश्यकता और जीतिगत धूमिका का समाख्योचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (8 marks)

हाल ही में विहार के बाद आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा जातिगत जनगणना की थी है। जिसके अन्तर्गत सामाजिक - आर्थिक कर्म में पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आँखुड़ी का संग्रहण किया जायेगा।

आरक्षण जीवियों की साक्ष्य आद्धारित व समानतापूर्ण बनाने में जातिगत जनगणना की अनिवार्यता -

पक्ष में तर्क - ९

- (1) जातिगत आँखुड़े सम्बन्धित वर्गों के वास्तविक स्थान से अवगत बुरानी में भद्रदण्ड
- (2) क्रीमीलेपर की पहचान व उन्हें अनावश्यक लाभ से अलग करने में सहायता
- (3) भक्ति व वंचितों को आरक्षण डा लाभ व उनका सामाजिक उपचान
- (4) आरक्षण के तकनीकी क्रियान्वयन में सहायता
- (5) साक्ष्य व समतापूर्ण आरक्षण निवास हेतु विपक्ष में तर्क - ९

- (1) राजनीतिक दिले के लिये दुष्प्रयोग
- (2) जातिगत धैदगाव के बढ़ने की डार्शना


जातिगत जनगणना की आवश्यकता व नीतिगत धूमिका - ६

आवश्यकता

- ① आरक्षण में पिछड़े वर्ग व SC/ST आदि को प्रदान करने में सरीख आंकड़ी त्रै अनुपस्थिति
- ② आरक्षण में प्लाट अधिकाचार के दूर करने हेतु

नीतिगत धूमिका

- ① आजामी जनगणना में सामाजिक-आर्थिक भवभणना भरा जीवन व नीतियों का वेहत्व क्रियान्वयन
- ② इन्हें उल्लेख के प्रशासन में वंचित कर्णे का समोकेशन



इस प्रकार जातिगत जनगणना आरक्षण की जीति के सफल क्रियान्वयन में अहंवृष्टि साक्षित दो सकते हैं बल्कि इसे राजनीतिक भवन के इस के काप में प्रपेण व इषा जाय इसी ते साथ अरमानता व न्याय के उद्देश्य की शर्ति में भवायक उपर्युक्त की आंति वर्ग भरेगा।

55
B

③ तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीहि जो संविधान की 9वी अनुसूची के तहत संरक्षित है ग्रन्ती उनीलियों का सामाना कर रही है प्रायिक समीक्षा के संदर्भ में 9वी अनुसूची की वेदात तथा भारत की आरक्षण नीहियों पर इसके प्रभावी पर चर्चा जीजिए। (झ)

हाल में पटना हाईकोर्ट द्वारा विहार सरकार द्वारा जी जातीय आरक्षण की 65% सीमा को अस्तिवैधानिक घोषित कर दिया जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के 50% सीमा की पार करती है।

इसी के तमिलनाडु में 69% की आरक्षण की सीमा पर विवाद जोर पड़ दिया है जिसे संविधान की 9वी अनुसूची की सरक्षण प्राप्त है।

9वी अनुसूची

मह भारतीय संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ गया जिसका उद्देश्य कुनि सुधार व अन्य ग्रन्ती की प्रायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त करना है।

तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीहि व 9वी अनुसूची का सम्बन्ध व इसकी वेदात

1971 तक तमिलनाडु में 41% आरक्षण था जिसे अतिराच आपोगी की स्थापित पर OBC के

25%. आरक्षण की 31% कर निया गया जिसने
उस 50%. OBC, 18%. SC तक 1%. आरक्षण ST
के लिए निया दिया जिससे 69%. आरक्षण की सीमा
ले गयी।

पुराने अधिकारी संघर्ष द्वारा इसे नरसिंह राव द्वारा संभाल
के उनी डाकुस्ती में उल्लंघन की सिफारिश की गयी
ताकि बसकी व्यापिक समीक्षा न की जा सके।

भारत में इसकी आरक्षण वीरिया? पर प्रभाव

संकारात्मक	जटारात्मक
<p>① प्रत्येक राज्य में पिछड़े कर्मी की आनुपातिक आवादी असर - असर है क्यों आवादक पिछड़े कर्मी के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी</p> <p>② सामाजिक - आर्थिक श्रेष्ठों में कर्मीप सुधार</p>	<p>① प्रत्येक राज्य की आरक्षण की सीमा की बगाने की मांगी</p> <p>(उदाहरण) बातीसगढ़ कर्नाटक क्षेत्र आदि राज्यों में</p> <p>② प्रशासनिक दक्षता प्रबलिका</p> <p>③ राजनीतिक वोट बैंड हेतु प्रयोग</p> <p>④ ब्रेन इंजन जहाँ प्रतिमाशाली शुक्र नियंत्रण की तरफ काज करेगी</p>
5.5	6

अतः आरक्षण की लव्हपूर्ण सीमा भा पालन
करने व प्रशासन की दक्षता की प्रभावित निये
विना आरक्षण वीरिया की साथ भरने की लोचनकृत
है।

④ सामाजिक व्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर विचार किया जा रहा है लेकिन इससे आर्थिक विकास और भवित्व प्रणाली को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं। भारत में निजी क्षेत्र ने आरक्षण लागू करने की व्यवस्था का समालोचनात्मक अन्वेषण शुरू किया है। (8m)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा (16)
 (4) में शैक्षिक संरक्षणी व सेवाली में आरक्षण की व्यवस्था की जप्ती है जिसका उद्देश्य सामाजिक व्याय सुनिश्चित कर विचित्री का समावेशी विकास करना है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का प्रभाव

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
<p>① दारिये पर स्थित भोजी के अक्सरी में वृद्धि <u>(उक्त) कारपोरेट और औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि सीमित भागीदारी है।</u></p>	<p>① निजी क्षेत्र सामाजिक कल्याण की अपेक्षा निजी हिंसा लाभ की प्राप्तिकर्ता देता है। जो अनुच्छेद 19 के व्यवसाय के संघरण का हनन करेगा।</p>
<p>② भानवीय औद्योगिक व प्रशिक्षण की वृद्धि <u>निजी क्षेत्र में औद्योगिक व प्रशिक्षण की प्रतिस्पर्धा की प्राप्तिकर्ता की जारी है।</u></p>	<p>② उत्पादन व लाभ प्रमाणित होने से निजी क्षेत्री व उत्तरीजी वावना</p>

good

③ PPP भार्डल से
उन्निती के हर क्षेत्र
में प्रतिनिधित्व में
वटोत्तरी

④ कार्यों की नियंत्रण
की उपलब्धता

③ अनुनी क्रियान्वयन के
आधार के शोषण की
उत्तरांग

④ बहुराष्ट्रीय क्रमनियि

में निष्पक्ष चयन प्रक्रिया
वायित प्राप्ति क्रमनियि
के कल्पण की जगह
भौगोलिकी आपली
जाती है।

right of

भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की
व्यवहार्यता

① राज्य की 'कुल्याण गरी नीति' के निजी क्षेत्र की
सामीनुख नीति के बीच डंक की उत्तरांग

इसके विशेष समिति का गठन कर हाइक्रिड
भार्डल पर विचार किया जाना चाहिए।

② निजी क्षेत्र में कौशल के भौगोलिकी की कार्यक्रम
परीक्षण किये जाने के कारण वैनिली के कौशल
प्रशिक्षण के प्रक्रिया के लिए भावकृति

उदाहरण अरल कनोवेशन नियन्त्रण, अरल रिंकिंस लैंग
मुमा योजना, मेन इन इंडिया, सिल इंडिया
आदि के आधार से।

लागू किया जा सकता है क्षात्री मेरिट के आधारित
जारी की प्रमाणित न हो तो दक्षता के आधार
समावेशी विकास के सभ्य की प्राप्ति का जल्दी

4/7

16

17

⑤ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (CWS) के आरक्षण की व्यापकता ने भारत में जाति-आधारित सकारात्मक भोगमाव की छातियां की चिंह की लेकर एक नई बहस देढ़ दी है। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण की जाति-आधारित आरक्षण का व्यापन ऐसा होना चाहिए या समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रिय गॉडल की आवश्यकता है? इस पर चर्चा जीवित। (7)

~~भारतीय संविधान में 103 वें संशोधन। अधिनियम 2019 के आधार पर अनुच्छेद 15 व 16 में नए आग 15(6) तथा 16(6) जोड़ा गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वोत्तम की 10% का आरक्षण प्रदान करता है।~~

~~पूर्व में भारत की आरक्षण प्रवाली जाति पर आधारित थी जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े की का सामाजिक उत्पान था।~~

~~आर्थिक आधार पर आरक्षण की जाति आधारित आरक्षण का व्यापन होना चाहिए?~~

पक्ष में लिखा	निपक्ष में लिखा
① अधिकांश सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े की आर्थिक उत्पानता	① आर्थिक रूप पिछड़े की सामाजिक असमरोह या परंपराओं के अवरोह का सामना नहीं आया जा सका
② अधिकांश सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े की आर्थिक उत्पानता	② नियन्त्रित जातियों की अस्पृशनता व सामाजिक

② आर्थिक साधारण पर आरक्षण नीहि छारा हारिए पर स्थित सोगो के सरीउ बाँड़े गिल सड़ै।

③ आर्थिक साधारण आरक्षण जाहिंत में भी करेगा

के बारण सामाजिक व शैक्षिक उत्तरी से नीनित रहना पड़ा।

④ आर्थिक क्षय काशक्त परन्तु सर्वी जालियों के पास समानता के आधिकार व समान दावसां के अधिकार ना होना

⑤ जाहिं और सामाजिक प्रबलपन आपस में सम्बन्ध इसलिए सिर्फ आर्थिक साधारण पर आरक्षण पर्याप्त नहीं।

समावेशी विभास सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मौजल की आवश्यकता

① इन्हें मौजल जाहिं व आर्थिक दोनों साधारण आरक्षण की बात बताता है जिसके दोनों को में समावेशी विभास सुनिश्चित किया जा सके।

② आरक्षण की नीहि के तर्कुर्या लिपावधन की आवश्यकता

उपरोक्त स्थारात्मक भारवाई के आहम संनियोग एवं समीक्षा के गांधी जी के लक्ष्य की भाष्ट नियम जो रखता है।

Good